न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00229 (131/2016)

रतन सिंह पुत्र फूसाराम जाति राजपूत साकिन रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, भादरा, दिनांक 28.05.2015 प्रकरण संख्या 275/2013 बअनवानी रतनसिंह बनाम सरकार

श्री हवासिंह पूनियाँ अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री राजेश कोशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक – 31.3.2021

1. इस प्रकरण में तथ्य में इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि वादी के पिता फुसासिह पुत्र हजारी सिंह को रासलाना के भूतपूर्व जागीरदार ने दिनांक 13.01.1945 को रोही रासलाना की 50 बीघा भूमि काश्त पुख्ता अलॉट की थी। जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के बाद 50 बीघा भूमि फूसासिंह को नियमानुसार खातेदारी होनी चाहिए थी लेकिन उक्त आराजी सहवन से फूसासिंह की खातेदारी दर्ज नहीं हो पाई और सैटलमेंट ने सहवन से 50 बीघा भूमि का खसरा नं. 359 की 41 बीघा खसरा नं. 360 की 9 बीघा मे पैमूद कर दी तथा जमाबंदी में खसरा नं. 359 की 41 बीघा सिवाय चक दर्ज कर दी। वादी के पिता के इसी 50 बीघा की उत्तर और की 5 बीघा पूर्व की ओर की 4 बीघा कुल 9 बीघा कृषि भूमि को खसरा नं. 360 में शामिल कर गैरमुमकिन गोचर भूमि (जोहड़ ताल) दर्ज कर दिया जबकि यह भूमि जोहड़ ताल या गोचर की भूमि नहीं थी। उक्त भूमि में से 4 बीघा बारानी भूमि दिनांक 09.01.2002 को वादी को कीमतन अलॉट हो चुकी है परन्तु खसरा नं. 360 की 5 बीघा कृषि भूमि गैरमुमकिन दर्ज रहने से वादी को अपूर्णीय क्षति पहुचने का कथन करते हुए वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने व प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष [illegible] अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया। अधीनस्थ [illegible] आधार पर वादी का वाद खारिज किया जिस[illegible] ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादित भूमि वादी के पिता को जागीरदार ने काश्त हेतु अलॉट की थी जिसपर लगातार कब्जा काश्त चली आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ही है। कानूनन वादी विवादित भूमि का खातेदार हो चुका है इसके बावजूद भी मातहत अदालत ने दावा को खारिज किया है। अपीलाण्ट के दस्तावेजों पर कोई गौर नहीं किया है। स्टेट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वादी पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रतिवादी मातहत अदालत में उपस्थित नहीं आया ना ही मौखिक साक्ष्य पेश किया। अदालत ने निर्णय सरे इजलास नहीं सुनाया ना ही वादी एवं उसके अधिवक्ता को कोई सूचना ही दी। पत्रावली राजस्व अभियान में 2015 में रखी थी उस समय निर्णय नहीं होना बताया पत्रावली में तारीख पेशी की कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। निर्णय अभियान में 1 साल पूर्व ही होने का ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खंडन प्रस्तुत नहीं होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत आराजी उसे भूतपूर्व जागीरदार ने दिनांक 13.01.1945 को पुख्ता अलॉट की थी लेकिन सैटलमेंट में सहवन से गैरमुमकिन गोचर जोहड़ ताल दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय की तनकी नं. 1 में रोही मौजा रासलाना के खसरा नं. 360 की 5 बीघा गैरमुमकिन गोचर भूमि को वादी को खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी नहीं माना है क्योंकि गैरमुमकिन गोचर भूमि को दावा के आधार पर खातेदारी घोषित नही किया जा सकता है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे संवत 2012 से प्रश्नगत भूमि पर उसकी कब्जा काश्त हो। उक्त तथ्यों के विपरीत अपीलाण्ट ने ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णत शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.08.04 11:07:16 IST
Reason: SelfAttested

8. निर्णय आज दिनांक 31.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

31.3.21

(करतारसिह पूनीयॉ)

आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ

Scanned with CamScanner